

मांग संख्या 07
मुख्य शीर्ष 2030

मद कमांक 1

राज्य शासन द्वारा स्टाम्पों की बिक्री एवं अन्य अनुषांगिक व्यय पर रूपये 200 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 2

न्यायिकतर स्टाम्पों की लागत एवं परिवहन पर रूपये 364.75 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,64,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 3

न्यायिकतर स्टाम्पों की बिक्री वं अन्य अनुषांगिक व्यय पर रूपये 65.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2039

मद कमांक 4

विभागीय मुद्रण के लिए सुरक्षा होलो ग्राम क्रय पर अतिरिक्त रूपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 5

विभागीय मदिरा दुकानों हेतु सामग्री पूर्ति मद में रूपये 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2040

मद कमांक 6 से 15

वाणिज्यिक कर अभिकरण के अध्यक्ष हेतु 1 वाहन, स्थापना एवं कार्यालय बय के अंतर्गत मंहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता स्थानांतरण एवं बिजली एवं जल प्रभार, पेट्रोल तेल आदि पर रूपये 9.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।